माल और सेवा कर परिषद
5वीं मंजिल, टावर 2,
जीवन भारती बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
**कार्यालय+ : 91-11-23762656**
**फैक्स+ : 91-11-23738814**
**ईमेल : gstc.secretariat@gov.in**
**वेब : www.gstcouncil.gov.in**
**फा. सं : . 09/GoM for Revenue Analysis/GSTC/2018**
**दिनांक : 15.01.2019**

## कार्यालय-ज्ञापन

**विषय :GST व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन की बावत |**

10 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी (GST) परिषद की 32वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया गया है। 'जीएसटी (GST) व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने सम्बन्धी इस GoM' की संरचना इस प्रकार होगी:

| **क्रम संख्या** | **नाम** | **पदनाम एवं राज्य** | **पद** |
|---|---|---|---|
| **1.** | श्री नितिन पटेल | माननीय उप मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार | संयोजक |
| **2.** | श्री सुधीर मुनगंटीवार | माननीय वित्त मंत्री, महाराष्ट्र सरकार | सदस्य |
| **3.** | श्री कृष्ण बायरे गौड़ा | माननीय वित्त मंत्री, कर्नाटक सरकार | सदस्य |
| **4.** | डॉ. टी. एम. थॉमस इसाक | माननीय वित्त मंत्री, केरल सरकार | सदस्य |
| **5.** | श्री मनप्रीत सिंह बादल | माननीय वित्त मंत्री, पंजाब सरकार | सदस्य |
| **6.** | श्री राजेश अग्रवाल | माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य |
| **7.** | श्री मौविन गोडिन्हो | माननीय पंचायत मंत्री, गोवा सरकार | सदस्य |

2. जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GoM के विचारार्थ विषय (ToR) निम्नलिखित होंगे:

I. 10 जनवरी 2019 को आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में GoM को संदर्भित आवासीय निर्माण इकाइयों के लिए एक कंपोजिशन योजना प्रदान करके, जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के आलोक में जीएसटी की कर दर का विश्लेषण करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुद्दे/चुनौतियाँ शामिल हैं;

II. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिशन योजना या किसी अन्य योजना के तरीकों की जांच करना और सुझाव देना, और प्रस्तावित योजना की शुरुआत के सापेक्ष संक्रमण (transition) के लिए योजना का सुझाव देना;

III. विकास अधिकारों के हस्तांतरण (TDR) और संयुक्त विकास समझौते में विकास अधिकारों पर जीएसटी लगाने के विभिन्न पहलुओं और उपयुक्त मॉडल की जांच करना;

IV. कंपोजिशन में भूमि या किसी अन्य घटक को शामिल करने/बाहर करने की वैधता की जांच करना और मूल्यांकन तंत्र का सुझाव देना;

V. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य पहलू की जांच करना और सुझाव देना, जिसे GoM के संज्ञान में लाया जा सकता है।

**3.** रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM आवश्यकतानुसार केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को आमंत्रित कर सकता है। विधि समिति और फिटमेंट समिति के संयोजक GoM की सहायता करेंगे।

**4.** रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM के सचिव श्री मनीष सिन्हा, संयुक्त सचिव (TRU-II), CBIC होंगे।

**5.** इसे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

**(धीरज रस्तोगी)**
**संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद**

**प्रतिलिपि :**

1. GoM के सभी सदस्य
2. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. विशेष सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय
5. विधि समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक
6. प्रधान आयुक्त (विंग नीति जीएसटी), CBIC
7. संयुक्त सचिव, TRU-I, राजस्व विभाग
8. संयुक्त सचिव, TRU-II, राजस्व विभाग
9. संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय
10. अध्यक्ष, GSTN
11. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GoM के गठन के संबंध में GST परिषद के माननीय सदस्य को सूचित करें।
12. माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. माननीय राज्य मंत्री (वित्त), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के निजी सचिव